

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 67/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख, 31 □□□□□□, 2018

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 742(अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 31/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 6 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,-

- (i) खंड (i) में "31 अगस्त, 2018" शब्द और अंकों के स्थान पर "31 जनवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (iv) में "30 सितंबर, 2018" शब्द और अंकों के स्थान पर "28 फरवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 6 अगस्त, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 742(अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।